



पतंजलि®



पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केन्द्र हेतु आवेदन-पत्र

योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संकल्प व आशीर्वाद से उच्च गुणवत्ता युक्त स्वदेशी व सस्ते सामान को घर-घर पहुंचाने के लिए जो योजना बनाई गई है, मैं इस अभियान का समर्थक व प्रशंसक हूँ। इस योजना के अर्न्तगत देश को विदेशी कम्पनियों की लूट के षड्यन्त्र से बचाकर आर्थिक शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा।

आवेदनकर्ता का नाम :..... पिता/पति का नाम.....

फर्म/कम्पनी का नाम :.....

ग्रामीण आरोग्य केन्द्र खोलने का स्थान:- ग्राम..... तहसील.....

जिला..... राज्य..... पिन कोड:

ई-मेल..... सम्पर्क सूत्र:

1. क्या आवेदक कोई अन्य व्यवसाय करता है यदि हाँ तो विवरण:-.....

2. प्रस्तावित स्थान से निकटतम ग्रामीण आरोग्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, चिकित्सालय व मेगा स्टोर का विवरण दें-

क्र.सं.	केन्द्र कोड	वर्तमान केन्द्र का पता	दूरी

3. प्रस्तावित दुकान का क्षेत्रफल:X.....=.....वर्ग फिट अनुमानित निवेश राशि रू.....

4. ग्रामीण आरोग्य केन्द्र खोलने हेतु गाँव की आबादी.....

5. आवेदक के स्वयं या परिवार / रिश्तेदारों के नाम पर पतंजलि के कितने केन्द्र हैं।:

(मेगा स्टोर.....चिकित्सालय.....आरोग्य केन्द्र.....ग्रामीण आरोग्य केन्द्र.....वितरक.....) केन्द्र का कोड.....

6. आवेदक स्वयं या परिवार / रिश्तेदार से कोई सदस्य पतंजलि में कर्मचारी हैं तो विवरण.....

कर्मचारी का कोड:-.....कर्मचारी का नाम:-.....कब से:-.....

7. क्या आप पहले से ही पतंजलि परिवार से जुड़े हैं? हाँ नहीं यदि हाँ हो तो किस रूप में:.....

(कार्यकर्ता / योग शिक्षक / योग विस्तारक / आजीवन सदस्य व अन्य विवरण:-.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन दिनांक:-.....

अधिकृत हस्ताक्षर

स्वदेशी विभाग (मुख्यालय)

अधिकृत हस्ताक्षर

पतंजलि फूड्स लि० (हरिद्वार)

-: अर्हताएँ व नियमावली :-

केन्द्र	दुकान का क्षेत्रफल	निवेश पूँजी	आवेदन शुल्क (नॉन रिफाईंडेबल)
ग्रामीण आरोग्य केन्द्र	न्यूनतम 100-200 वर्ग फिट	2.5 से 3 लाख रुपये	₹ 14,400/- पतंजलि फूड्स लि0 के खाते में देय ₹ 3600 /- पतंजलि आयुर्वेद लि0 के खाते में देय

1. आवेदनकर्ता आवेदन करते समय स्थान (दुकान) की अंदर व बाहर से तथा मार्केट की फोटो साथ में जरूर उपलब्ध कराएँ।
2. आवेदनकर्ता का आवेदन संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के मापदण्डों के आधार पर ही स्वीकृत किया जाएगा, और इसमें अंतिम निर्णय संस्थान का ही रहेगा।
3. पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय एवं आरोग्य केंद्र खोलने हेतु ग्रामीण आरोग्य केंद्र से न्यूनतम दूरी का कोई मापदंड नहीं रहेगा।
4. हरिद्वार मुख्यालय से अनुमति के पश्चात ही केन्द्र के लिए दुकान का किराया अनुबंध (Rent Agreement) करें।
5. ग्रामीण आरोग्य केन्द्र पर पतंजलि उत्पाद रखने के लिए लकड़ी/ स्टील रेक की व्यवस्था का खर्च संचालक को स्वयं व्यय करना होगा एवं मुख्यालय के बिना अनुमति के रैक एवं साइन बोर्ड न बनवाएँ।
6. आवेदन शुल्क का 50% तक ब्रांडिंग सामग्री संस्थान के माध्यम से सम्बंधित केंद्र को प्रदान की जाएगी
7. पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केन्द्र गाँव के प्राइम लोकेशन व प्रमुख बाजार में ही खोले जायेंगे।
8. पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केन्द्र पर पतंजलि फूड्स, पतंजलि आयुर्वेद व संस्थान द्वारा अनुमोदित वस्तुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य कम्पनी के उत्पाद विक्रय करना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
9. आवेदन के पश्चात आवेदन की स्वीकृति सम्बंधित विभाग के माध्यम से नियमानुसार जाँच के पश्चात ही होगी।
(नोट- इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा)
10. नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्ति आवेदन-पत्र न भरें क्योंकि हमारी संस्था एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है।
11. आवेदक को मुख्यालय से अनुमोदन के बाद 7 दिनों के भीतर आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
12. अनुबंध के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अनुमोदन के 1 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, यदि दस्तावेज समय पर नहीं आये तो आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा आवेदन शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।
13. आवेदक को आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् 45 दिनों के अंदर अपने केंद्र की प्रथम बिलिंग करवाना अनिवार्य है, यदि आवेदक 45 दिनों के अंदर बिलिंग नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में संस्थान उस स्थान पर किसी अन्य आवेदक का ग्रामीण आरोग्य केंद्र स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रथम आवेदक का आवेदन संस्थान द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा।
14. केंद्र के सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय से नवीनीकरण (renewal) करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र संचालक की होगी। इसमें किसी भी अनियमितता पाए जाने की स्थिति में, केंद्र का अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
नोट:- उपरोक्त नियमावली में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा

मुख्यालय पता : स्वदेशी विभाग, दिशा भवन, द्वितीय तल, पतंजलि योगपीठ फेस - 1, हरिद्वार - 249405, उत्तराखण्ड (भारत)

संपर्क सूत्र : +91-7302988103

Website : www.patanjalifoods.com, www.patanjaliayurved.org, www.divyayoga.com

Email : graminceneter@patanjalifoods.in; gak@patanjaliayurved.org

नोट : आवेदन पत्र प्रस्तावित स्थान (दुकान) की फोटो के साथ आवेदन करता मुख्यालय की ई-मेल आई.डी graminceneter@patanjalifoods.in पर भेजें तथा आवश्यक कार्यवाही पूरी होने पर आपको अनुबन्ध के लिए मुख्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर